

राजस्थान सरकार
गृह (मुप-13) विभाग

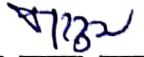
क्रमांक: प. 6(19)गृह-13/2006/पार्ट

जयपुर, दिनांक: 09.09.2021

परिपत्र

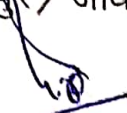
विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह पंजीयन होने के संबंध में जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.10.2019 को सक्षम स्तर से लिए गये निर्णय अनुसार एतद् द्वारा प्रत्याहारित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से


(सुरेश चन्द गुप्ता)
शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, गृह विभाग राजस्थान जयपुर।
5. महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा जयपुर।
6. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा जयपुर।
7. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज/पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
9. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान/पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।
10. प्रोग्रामर, गृह विभाग राज0।


(राजेन्द्र सिंह तंवर)
संयुक्त शासन सचिव